विश्वासभाजन

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– अ0स0क0–08–06/श्र0–08/2017 .... पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– अ0स0क0–08–06/श्र0–08/2017 .... पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– अ0स0क0–08–06/श्र0–08/2017 .... पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– अ0स0क0–08–06/श्र0–08/2017 .... पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– अ0स0क0–08–06/श्र0–08/2017 .... पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपिः–उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा (दो प्रतियों में), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– अ0स0क0–08–06/श्र0–08/2017 286 पटना, दिनांक– 14/08/18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, बजट शाखा/आई० टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

14/8

विशेष सचिव–सह–निदेशक

पत्रांक–अ0स0क0–08–06 / श्र0–08 / 2017 ....

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफ़ाक अहमद फ़ैज़ी
विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजनान्तर्गत अल्पसंख्यकों को कौशल प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल बजट उपबंध राशि ₹50,00,000 / – (पचास लाख रुपये) मात्र में से द्वितीय किस्त राशि ₹16,00,000 / – (सोलाह लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना की कंडिका–1 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कामगारों एवं कुछ विशेष तकनीकी कार्यों में ज्ञान / क्षमता रखने वालों तथा अन्य इच्छुकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि०, पटना के माध्यम से स्वरोजगार युक्त करने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना हेतु कुल राशि कुल बजट उपबंध राशि ₹50,00,000 / – (पचास लाख रुपये) मात्र में से प्रथम किस्त की राशि ₹16,50,000 / – (सोलाह लाख पचास हजार रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति दी गई थी। द्वितीय किस्त की राशि ₹16,00,000 / – (सोलाह लाख रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

3. स्वीकृत राशि व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2250–अन्य सामाजिक सेवाएं– उपमुख्य शीर्ष– 00– लघु शीर्ष–003– प्रशिक्षण मांग संख्या– 30–उपशीर्ष–0101– अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण विपत्र कोड– 30–2250000030101, विस्तृत शीर्ष– 20– अन्य प्रशासनिक व्यय विषय शीर्ष–03– प्रशिक्षण व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा की जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि BTC Form No.-46 के माध्यम से निकासी कर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि०, पटना के पी०एल० खाता– PTSPLA008, Ledger ID-21007 में हस्तांतरित करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 / वि० दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।